बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

संचिका संख्या–1/नि॰–1–005/2012

कार्यालय आदेश संख्या..........60.........../लो०से०आ०   पटना, दिनांक...27/4.../2023

श्री दीपक कुमार–2, कार्यालय परिचारी (निलंबित) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा दिनांक–06.10.2017 से लगातार बिना सूचना एवं बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के आयोग कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप आयोग के ज्ञाप सं॰–2947, दिनांक–06.03.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी तथा उन्हें निदेशित किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना स्पष्टीकरण आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। इसके बावजूद श्री कुमार द्वारा उक्त ज्ञाप के आलोक में कोई स्पष्टीकरण/जवाब आयोग कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है। उनके द्वारा Prabhakar Poly Clinic के डॉ॰ कौशल किशोर सिन्हा, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पूर्जा संलग्न करते हुए दिनांक–18.05.2018 के हस्ताक्षर से आवेदन समर्पित किया गया कि वे पीलिया रोग से ग्रसित होने के कारण कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं तथा कार्यालय में अपना योगदान समर्पित कर रहें है, परन्तु आवेदन समर्पित करने के पश्चात् वे उसी दिन से पुनः अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हो गये। तदोपरान्त लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति को देखते हुए दिनांक–29.06.2019 को इस संबंध में हिन्दुस्तान (दैनिक समाचार पत्र) में सूचना प्रकाशित की गयी। सूचना प्रकाशन के उपरान्त भी श्री कुमार आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

कार्यालय आदेश संख्या–187, दिनांक–12.09.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत श्री कुमार को निलंबित किया गया।

2. श्री कुमार के दिनांक–06.10.2017 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध आरोप प्रत्र (प्रपत्र–'क') गठित करते हुए आरोपो की जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के तहत कार्यालय आदेश संख्या–39, दिनांक–27.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा मो॰ गयासुद्दीन अंसारी, उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. कालान्तर में कार्यालय आदेश सं॰–102, दिनांक–26.06.2020 द्वारा श्री अमित कुमार, तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को संचालन–सह–जाँच पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी स्थापना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन–सह–जाँच पदाधिकारी, श्री अमित कुमार द्वारा पत्रांक–2845, दिनांक–02.11.2022 द्वारा प्रपत्र –'क' में गठित आरोप के सन्दर्भ में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, उनका बचाव बयान, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य आदि का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए आरोपवार समीक्षा कर मंतव्य दी गयी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि आरोपित कर्मी द्वारा दिनांक–26.08.2022 को विभागीय कार्यवाही में अपना पक्ष रखते हुए अपने ऊपर लगाये गये सभी आरोपो को स्वीकार किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित कर्मी के विरूद्ध **गठित आरोप को प्रमाणित** होने का मंतव्य दिया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से आयोग के पत्र संख्या–3039, दिनांक–14.11.2022 एवं पत्र सं॰–4091, दिनांक–18.01.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा उक्त संबंध में दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में सूचना भी प्रकाशित करायी गई।

6. आरोपित कर्मी श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयं को दिनांक–05.07.2017 के रात्रि में अचानक मानसिक विक्षिप्त हो जाने के कारण अपने कर्त्तव्य निर्वहन करने की अवस्था में न रहने के कारण उपस्थित न हो सके। उन्होंने स्वास्थ्यहित में एक उचित समय प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

आरोपित कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपो, समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर आदि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोपित कर्मी श्री कुमार दिनांक–06.10.2017 से लगातार बिना सूचना एवं बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के आयोग कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अभी तक अनुपस्थित है।

वर्णित स्थिति में सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री कुमार के दिनांक–06.10.2017 से लगातार अभी तक अर्थात् 05 वर्षों से अधिक अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की स्थिति में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 में वर्णित प्रावधान "सरकारी सेवक के कर्तव्य से 05 वर्ष तक लगातार अनुपस्थिति के बाद, सरकारी नियोजन में नहीं रह जाने" के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007 के नियम–14 की कंडिका–11 में वर्णित शास्ति (दण्ड) **"सेवा से बर्खास्तगी, जो समान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"** का दण्ड निदेशानुसार अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

सचिव के आदेश से,

ह०/–

संयुक्त सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

ज्ञाप संख्या 434/लो0 से0 आ0 पटना, दिनांक 27/4/2023

प्रतिलिपिः– श्री दीपक कुमार–2, कार्यालय परिचारी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को पता–c/o-रामा ठाकुर,बालरगंज, शालीमपुर अहरा, हजाम टोली, गली न०–3, पटना–800003, बिहार। मोबईल न०–7488913885 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा)/विपत्र लिपिक, लेखा शाखा, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के आप्त सचिव प्रकोष्ठ में माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के प्रकोष्ठ में सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. आई॰टी॰ मैनेजर, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को विभागीय वेबसाईट प्रकाशनार्थ प्रेषित।
7. कार्यालय आंदेश पंजी/स्थापना गार्ड फाईल।

27/04/2023

संयुक्त सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

Letter/tipu sir